**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर**

**प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/5216/2004/नागौर**

1. मोहनसिंह दत्तक पुत्र चन्द्रसिंह
2. दानसिंह पुत्र बदनसिंह
–समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम आकोडा तहसील डीडवाना जिला नागौर

**....अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण**

**बनाम**

1. इच्चुकंवर उर्फ मोहन कंवर पत्नि हनुमानसिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
1/1. भागीरथसिंह दत्तक पुत्र इच्चुकंवर जाति राजपूत निवासी आकोडा तहसील डीडवाना जिला नागौर
2. रामकंवरी बेवा हेमसिंह
3. दातारसिंह पुत्र हेमसिंह
4. गिरधारी सिंह पुत्र हेमसिंह
5. कमलकंवर पुत्री हेमसिंह
6. रणजीतसिंह पुत्र फूलसिंह
7. चांदकंवर बेवा नारायणसिंह
8. पीरदानसिंह पुत्र खांगसिंह
–समस्त जाति राजपूत निवासीगण आकोडा तहसील डीडवाना जिला नागौर
9. भवानीसिंह पुत्र जतनसिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
9/1. जीतूसिंह उर्फ जितेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
10. सदाकंवर बेवा भैंरूसिंह
11. रामसिंह पुत्र भैंरूसिंह
12. लक्ष्मणसिंह पुत्र भैंरूसिंह –लाऔलाद फौत (नाम तर्क)
13. ओमकंवर पुत्री भैंरूसिंह
14. शक्तिदानसिंह पुत्र जतनसिंह
–समस्त जाति राजपूत निवासीगण आकोडा तहसील डीडवाना जिला नागौर
15. प्रतापकंवर पुत्री बहादुरसिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
15/1. सुमेरसिंह पुत्र प्रतापकंवर पुत्री बहादुरसिंह
15/1. भीमसिंह पुत्र प्रतापकंवर पुत्री बहादुरसिंह
15/1. पप्पूसिंह पुत्र प्रतापकंवर पुत्री बहादुरसिंह
–समस्त जाति राजपूत निवासीगण निवासी जोबनेर तहसीलब जोबनेर जिला जयपुर
16. रामूराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी आकोडा तहसील डीडवाना जिला नागौर
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना

**.....प्रत्यर्थीगण/वादीगण**

**खण्ड पीठ**
**श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य**
**श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य**

**उपस्थितः–**

श्री भींयाराम चौधरी, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स

**निर्णय**

**दिनांकः– 20–12–2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील सं. 191/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–10–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर डीडवाना के समक्ष वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जो कि ग्राम आकोदा स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 584 के संबंध में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने अपना इकबाली जवाबदावा पेश कर कथित किया कि वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जावे। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 6 ने अपना पृथक से जवाबदावा पेश कर अंकन किया वाद पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने आलोच्य वाद में अनुतोष सहित 4 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए वादीगण के वाद को आज्ञा दिनांक 24–09–2003 से वादीगण के वाद को सिद्ध होना कथित करते हुए डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–10–2004 से सारहीन होना घोषित करते हुए खारिज कर दी। राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित उक्त आक्षेपित निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर

अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की अपील के संबंध में बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय उपलब्ध रेकार्ड व विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। उनका कहना है कि वादी ने संयुक्त खातेदारी की भूमि को आलोच्य वाद में शामिल नहीं किया है तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने निर्णय पारित कर भूल की है। आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय तनकीवार पारित नहीं कर त्रुटिकारित की है तथा रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो कि अविधिक है। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 को सिद्ध करने का भार अपीलार्थीगण पर डालकर न्यायालय ने भूल की है। इसके अतिरिक्त वर्षो पुराने राजस्व रेकार्ड के विपरीत मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित कर विचारण न्यायालय ने गलती की है। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय ने वाद की कार्यवाही में उपलब्ध साक्ष्य का सही तरीके से परीक्षण नहीं किया है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 7 व 8 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। जबकि प्रश्नगत रकबे के 1/3 हिस्से पर अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त बरकरार है। यही नहीं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते समय अपीलार्थीगण द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्तों का अवलम्बन नहीं लिया है। उक्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18-10-2004 एवं सहायक जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24-09-2003 को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

5. इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होने के कारण ऐसे निर्णय के विरूद्ध पेश हस्तगत द्वितीय अपील को अपास्त किए जाने का निवेदन किया। उनका कहना है कि मूल वाद की कार्यवाही में समस्त पक्षकारों की सुनवाई सुनिश्चित कर ही विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित किया है, इस कारण उनका निर्णय विधि सम्मत है। उनका कहना है कि वादीगण के हिस्से में आयी भूमि पर वह काबिज है तथा सम्वत 2006 की जमाबंदी में भी वादीगण के नाम का अंकन है। इस कारण उक्त भूमि बाबत प्रतिवादीगण के इन्द्राज हटाया जाना विधिनुकुल है। यहीं नहीं मौके की ली गई रिपोर्ट में भी प्रश्नगत रकबे पर वादीगण का कब्जाकाश्त दर्ज है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत रकबा उनके बंट की भूमि है। आगे बताया कि पडौसी काश्तकारों व अन्य प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण का ही कब्जाकाश्त माना है। आगे बताया कि वादीगण के गवाहान के बयानात में विरोधाभास नहीं है, जबकि प्रतिवादीगण के गवाहान के बयानात में विरोधाभास प्रकट होता है। उक्त समस्त परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधि सम्मत निष्कर्ष है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेपअ अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील अपास्त की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बारीकी से मूल्यांकन किया।

7. रेकार्ड का विधि की दृष्टि से परीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत रकबा संयुक्त खाते की आराजी है। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर डीडवाना के समक्ष वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जो कि ग्राम आकोदा स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 584 के संबंध में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। जिसका प्रतिवादी संख्या

4 व 5 ने अपना इकबाली जवाबदावा पेश कर कथित किया कि वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जावे। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 6 ने अपना पृथक से जवाबदावा पेश कर अंकन किया वाद पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने आलोच्य वाद में अनुतोष सहित 4 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए वादीगण के वाद को आज्ञा दिनांक 24–09–2003 से वादीगण के वाद को सिद्ध होना कथित करते हुए डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–10–2004 से सारहीन होना घोषित करते हुए खारिज की है।

8. रेकार्ड के अनुसार यह पाया जाता है कि यह निर्विवाद रूप से प्रकट होता है कि जागीर रिज्यूम होने के बाद पक्षकारान के नाम 250 बीघा आराजी दर्ज थी, जिसमें 1/3 हिस्ससा सांवतसिंह एवं बागसिंह, 1/3 हिस्सा खांगसिंह पुत्र बगसुसिंह तथा 1/3 हिस्सा रिडमलसिंह के वारिसान का होना दर्ज है। इसके अतिरिक्त यह पाया जाता है कि प्रश्नगत रकबा संयुक्त खाते में दर्ज हो गया तथा प्रतिवादीगण के नाम अलग खातेदारी दर्ज हो गई। उपलब्ध दस्तावेजात से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत रकबा संयुक्त खाते की भूमि है। जमाबंदी सम्वत 2006 के अनुसार वंशावलीनुसार 1/3 हिस्से के खातेदार दर्ज है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भी पर्चा सेंटलमेंट व जमाबंदी के अनुसार यह पाया जाता है कि प्रतिवादीगण के नाम आराजी पृथक से दर्ज कर दी गई है।

9. अपीलार्थीगण ने हमारे समक्ष आक्षेप उठाया कि मूल वाद की कार्यवाही में न्यायालय ने समस्त पक्षकारान की समुचित रूप से सुनवाई सुनिश्चित नहीं की है। उपलब्ध रेकार्ड का विधिनुसार परीक्षण करने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि मूल वाद की कार्यवाही में समस्त पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अतः इस बाबत अपीलार्थीगण का आक्षेप निराधार है। वादीगण के हिस्से में आयी भूमि पर वह काबिज है तथा सम्वत 2006 की जमाबंदी में भी वादीगण के नाम का अंकन है। इस कारण उक्त भूमि बाबत प्रतिवादीगण के इन्द्राज

हटाया जाना विधिनुकूल है। यहीं नहीं मौके की ली गई रिपोर्ट में भी प्रश्नगत रकबे पर वादीगण का ही कब्जाकाश्त दर्ज है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत रकबा उनके बंट की भूमि है। पडौसी काश्तकारों व अन्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत रकबे पर वादीगण का ही कब्जाकाश्त माना है। वादीगण के गवाहान के बयानात में विरोधाभास नहीं है, जबकि प्रतिवादीगण के गवाहान के बयानात में विरोधाभास प्रकट होता है। सारांशतः यह परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत आराजी पर वादीगण का कब्जाकाश्त है। प्रकरण का विधि के दृष्टिकोण से सम्यक परीक्षण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

10. हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है। समवर्ती निर्णयों के संबंध में विभिन्न न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त निम्न प्रकार हैः–

2009 डीएनजे एससी पेज 385 "Excercising jurisdiction under section 100 CPC - interference in finding of facts without formulating the substantial question of law is illegal."

एआईआर 2001 एससी पेज 2282 "CPC Sec 100 - The finding of fact recorded by the first appellate court based on evidence could not be interfered with by the High Court that too in the absence of any substantial question of law that arose for consideration between the parties."

एआईआर 2002 पेज 2849 "on perusal of the judgment of the High Court and on consideration of the matter we do no find that the judgment suffers from any serious illegality or infirmity which calls for interference in the appeal filed by special leave".

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार द्वितीय अपील के स्तर पर जब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो कि कोई विधिक त्रुटि कारित की गई हो। हस्तगत प्रकरण में हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विधिक त्रुटि

कारित नहीं की है, इसलिए दोनों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत द्वितीय अपील निरस्त कर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को यथावत कायम रखा जाना समीचीन प्रतीत होता है।

12. परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन/बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18-10-2004 एवं सहायक जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24-09-2003 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(सुरेन्द्र माहेश्वरी)**
**सदस्य**

**(प्रवीण गुप्ता)**
**सदस्य**